

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.2(3)चिस्वा/2/2016

जयपुर, दिनांक : 06.07.2017

आदेश


राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर निम्नांकित वरिष्ठ विशेषज्ञों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से प्रमुख विशेषज्ञ के पद पर (वेतनमान 37400-67000 में ग्रेड पे 8700/-) पदोन्नत किया जाता है, सेवानिवृत्त अधिकारियों को छोड़कर शेष अधिकारी यथावत पदस्थापित रहेंगे।

वरिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थिरोग)					
क्र.स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्मतिथि	वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति वर्ष	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1	नरेन्द्र कुमार पालीवाल	सामान्य	19-09-57	01.04.2012	01.04.14
2	नाहर सिंह	सामान्य	03-06-56	11.07.2011	01.04.14
वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)					
क्र.स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्मतिथि	वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति वर्ष	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	सामान्य	01.10.54	11.07.2011	01.04.14
2	मुरारी लाल जागीड	सामान्य	15.04.56	11.07.2011	01.04.14
3	जयराम सिंह लखठकीया	अजा	15.07.57	01.04.2013	01.04.15
4	राधेश्याम शर्मा	सामान्य	20.08.58	01.04.2012	01.04.14
वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)					
क्र.स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्मतिथि	वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति वर्ष	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1	अशोक कुमार गुप्ता	सामान्य	27.08.59	01.04.2013	01.04.15
2	हरफूल सिंह	सामान्य	12.05.54	11.07.2011	01.04.14
वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)					
क्र.स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्मतिथि	वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति वर्ष	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1	त्रिलोक चन्द गगरानी	सामान्य	01.05.61	01.04.2013	01.04.15
वरिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)					
क्र.स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्मतिथि	वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति वर्ष	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1	सुनिता सरदाना	सामान्य	02.12.58	11.07.2011	01.04.14

वरिष्ठ विशेषज्ञ (फोरेन्सिक मेडिसन)					
क्र.स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्मतिथि	वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति वर्ष	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1	बाबू लाल मीणा	अजजा	19.04.56	11.07.2011	01.04.14
वरिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)					
क्र.स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्मतिथि	वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति वर्ष	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1	एस. पी. कंजोलिया	सामान्य	21.09.56	2010-11	01.04.13


- नोट:
1. सभी संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त चिकित्सकों से अचल सम्पत्ति का विवरण एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार बच्चों की सूचना प्राप्त कर ही आवश्यक कार्यवाही करें।
 2. उक्त चिकित्सकों का सहायक लेखाधिकारी द्वारा चिकित्सक की सर्विस बुक से पूर्ण सेवा सत्यापन एवं वेतन स्थरीकरण की जांच करने के उपरान्त वेतन निर्धारण करने की अनुशंसा के आधार पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष वेतन निर्धारण करेंगे।
 3. उक्त चिकित्सकों के आरोप पत्र/असाधारण अवकाश या सेवा में व्यवधान/अनुपस्थित होने पर वेतन निर्धारण नहीं कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।
 4. जिला एवं जोनल मुख्यालय पर प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में पदस्थापित होंगे एवं मुख्यालय (निदेशालय) में इन्हें अपर निदेशक के रूप में डेजिग्नेट किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
- 3- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक/श्रम एवं नियोजन विभाग
- 5- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर/प्रबन्ध निदेशक, आर. एम. सी. एल., जयपुर।
- 6- संबंधित कमाण्डर, आर. ए. सी./पुलिस महानिदेशक/मुख्य कार्य. अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद
- 7- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.
- 8- संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
- 9- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य, आर. एफ. पी. टी. सी.
- 10- संबंधित अधिकारी
- 11- कम्प्यूटर सैल/निजी/रक्षित पत्रावली।
- 12- प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करावें।


(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव